नेपाल : यातना ओ बलजफ्ती साविती बयान

कैलालीमे २०७२ भदौमे प्रहरी हत्याके घटनापाछे आदिवासी थारुन्के मानवअधिकार हनन्

सक्कुजे मानवअधिकारके उपभोग करे पइना विश्वके लाग अभियान करुइया ७० लाख से धेर मनैन्के एक थो विश्वव्यापी अभियान हो एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ।

हरेक व्यक्तिके मानवअधिकारके विश्वव्यापी घोषणापत्र ओ अन्य मानवअधिकारके अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमे प्रतिस्थापित कैगइल सक्कु अधिकार उपभोग करे पाइल अवस्था सुनिश्चित करक लाग सघैना हमार लक्ष्य हो ।

हम्र कौनो फेन सरकार, राजनीतिक सिद्धान्त, आर्थिक चासो व धर्मसे स्वतन्त्र बटी ओ हमार आर्थिक प्रायोजन विशेष कइके हमार सदस्य ओ सार्वजनिक चन्दासे हुइटा

विषयवस्तु

१. सारसंक्षेप २. पृष्ठभूमि ३. थुनामे यातना ४. बलजफ्त “साविती बयान” ५. स्वास्थ्य सेवासे वञ्चित ६.स्वेच्छाचारी पक्राउ ७. नेपालके अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनी दायित्व ८. सुझाव

Nepal
Kailali District
Sahajpur
Nigali
Godawari
Khairala
Mohanyal
Pandaun
Malakheti
Sreepur
Geta
Beladevipur
Sugarkhal
Ramsikhar Jhala
Masuriya
Chaumala
Urma
DHANGADHI
Sadepani
Dododhara
Chauha
Udasipur
Gadariya
Phulbari
Darakh
Basauti
Pahalmanpur
Baliya
Pratapapur
Boniya
Janakinagar
Pathariya
Hasuliya
Pawera
Khailad
Joshipur
Durgauli
Munuwa
Ratnapur
TIKAPUR
Thapapur
Bhajani
Lalbojhi
Narayanpur
Dansinhapur
India
LEGEND
DISTRICT CAPITAL
MAJOR ROAD
MINOR ROAD
Nepal
Kathmandu
Kailali District

१. सार-संक्षेप

“अध्धारात ढोका खोलके पुलिस मोर घर भिट्टर आइ बेर मै निदाइल रहु । ओइने मोर नाउ पुछ्लै ओ पिटे लग्लै । ओइने महिन गारीमे चौहरइलै । पुलिस आपन गारी एकथो पुलिस चौकीमे रोक्लै ओ महिन कुटपिट कइलै । ओकर पाछे डोसर पुलिस चौकीमे रोक्लै ओ महिन कुटपिट कइलै । ओकर पाछे फेन डोसर पुलिस चौकीमे पुग्के ओइने गारी रोक्लै । वहा महिन लठ्ठीले, बन्दुकिक कुन्डाले ओ ओइने ज्या भेटाइ उहिनेले पिट्लै ।”[1]

तुलसीराम (काल्पनिक नाम)

“पुलिस महिन जबर्जस्ती साबिती बयानमे साइन करक लगइलै । कागजमे लिखल चिज परहक लाग आग्रह करनु टे महिन कुटपिट कइलै ।”[2]

भागीराम (काल्पनिक नाम)

यि प्रतिवेदनमे, ७ भदौ २०७२ मे टीकापुरमे आठ जने सुरक्षाकर्मी ओ एक थो बच्चाके हत्याके घटनाहे लेके सुदुर पश्चिमके कैलाली जिल्लामे आदिबासी थारु समुदायके मनैन्हे प्रहरी ओइने स्वेच्छाचारी पक्राउ करल, यातना ओ अन्य दुर्व्यवहार करल ओ किहुहे जबर्जस्ती “साबिती बयान” मे हस्ताक्षर कराइल कना विषयमे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसे अभिलेखन कैगइल बा ।

यि घटनापाछे ज्यानमारा, ज्यानमारा उद्योग ओ चोरी-डकैती आरोपमे मुद्दा बोक्टी रहल थारु धनगढी कारागारमे थुनुवामे बटै । ओइन संगके अन्तर्वार्तामे प्रहरी हिरासतमे रहल बेला लाठीले कुटपिट कैगइल, राइफलके कुन्दाले प्रहार कैगइल, थप्पर मारगइल ओ गालीगलौच कैगइल बात खुलल् बा । कुटपिट ओ यातना प्राय पक्राउ कैगइल समयसे, प्रहरी चौकीमे स्थानान्तरणके क्रममे ओ प्रहरी चौकी तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका) मे हुइल रहे ।

बन्दी ओइनके व्यक्तिगत कहाइमे ओइने कहा ओ कैसिक पक्राउमे परलै , एक ठांउसे डोसर ठांउमे कैसिक सरुवा कैगइलै ओ कैसिक यातना पइलै कना बारेमे विवरण फरक बा । यद्यपी ओइने पक्राउ परके सुरक्षाकर्मीके गारीमे ढरटीसाथ यातना सुरु हुइल रहे । जिल्लाके तमान प्रहरी चौकी ओ विषेश कइके जिप्रकामे यातना देहल बातम् भर ओइनके कहाइमे एकरुपता बा ।
बन्दी ओइने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलहे बताइल अनुसार ओइने पक्राउ परनाके कारणबारे ओइनहे जानकारी नैडेगइल । पक्राउ परल समयसे ओइनहे वकिलके परामर्श लेना स्विकृति नैडेगइल

[1] तुलसीराम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, धनगढी कारागार, २९ फागुन २०७२ ।
[2] भागीराम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, धनगढी कारागार, २९ फागुन २०७२ ।

। अस्तके ओइन उप्पर चलागैल कारर्वाहीबारे यथेष्ट जानकारी नैडेगइल । ओइनके कहाइ अनुसार “साबिती बयान” लेहकलाग प्रहरीसे ओइनहे बहुट यातना डेगइल सन्दर्भ प्रकाश हुइट । यातना पउइयन्मे एक जने १४ वर्षीय बालक फेन रहल बटागैल ।

यि खास अवस्था दण्डहीनताहे बृहत वातावरण बारे बोलट जहां यातनाके पीडक ओइने, विशेषकइके प्रहरी ओइने, आपन कामकारवाहीके लाग जिम्मेवार नैमानजैठै । अइसिन अवस्थामे यातनाके घटनाके सम्बन्धमे दुनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पुरा कैनामे नेपाल असफल हुइल देखाइट । यि दायित्व मनसे यातनाके आरोप उप्पर प्रभावकारी अनुसन्धान कइना, पीडक ओइन न्यायके कठघरामे ठहरवैना ओ पीडित ओइनहे परिपुरण उपलब्ध करैना काम प्रमुख हो ।

यातना ओ अन्य क्रुर, अमानवीय ओ अपमानजनक व्यवहार ओ सजायविरुद्धके महासन्धिके नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । तबेमारे आपन जिम्मेवारी अनुरुप राष्ट्रिय कानुनसे यातनाहे अपराध घोषित कैना, ओकर गाम्भीर्यता डरसैना उपयुक्त सजायसे दण्डित कइना कानुन तत्काल जारी कइना नेपाल सरकारके दायितव हो ।

कार्यपद्धति

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल टीकापुर ओ आसपासके गांउ ओ जिल्ला सदरमुकाम धनगढीमे २०७२ फागुनमे अन्तर्वार्ता लेहल । धनगढी कारागारमे रहल १९ जने बन्दीसंग फागुनमे ओ कास्की जिल्लास्थित बाल सुधार गृहमे रहल एकथो बालकसंग २०७३ बैशाखमे एम्नेस्टी इन्टरनेसनल बाटचिट करल ।

बन्दी ओइनसंग कैगइल व्यवहारबारे प्रत्यक्ष जानकारी रहल दुई जने मानवअधिकारवादी, वकिल ओ साक्षी ओइनसंग धनगढीमे ओ आरोपितके परिवारके एकजने सदस्यसंग फेन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल अन्तर्वार्ता लेहल ।

अन्तर्वार्ता लेगइल बन्दी ओइन धनगढी कारागारके पक्की पर्खालले अलग कैगइल दुई खण्डमे ढरगइल रहे । कारागारके एकथो खण्डमे आठ जने ओ डोसर खण्डमे एघार जने थुनामे रहै । दुनु खण्डके बन्दी ओइन कारागारके सुरक्षाकर्मीन् आगन्तुक भेट्ना आगेके घेरा लग्गे जम्मा हुइ लगइलै । ओकरपाछे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अनुसन्धानकर्ता ओइने प्रत्यक्ष बाटचिट कर्टी धनगढी कारागारमे सरुवा हुइनासे आगेक पक्राउ परल सन्दर्भ ओ प्रहरी हिरासतमे रहल बेलाके व्यवहारबारे बन्दीन्के व्यक्तिगत कथा ओ भोगाइ बताइक लाग आग्रह करलै । कारागारके दुई अलग खण्डमे बन्दी बनागइल दुई समूहमे ढरगइल व्यक्तिन्के डेहल अन्तर्वार्ता पाछे उ बयानहे तुलना कइना ओ पुष्टि कइना अवसर एम्नेस्टी इन्टरनेसनलहे प्राप्त हुइल ।

सक्कु बन्दी ओइने आपन बयानहे प्रकाशित करना स्वीकृति डेलै । यद्यपी अन्तर्वार्ता डेहक लाग सहमत व्यक्तिके सुरक्षा ओ संरक्षणहे प्राथमिकता डेहटी प्रतिवदनमे सक्कु जनहनके

काल्पनिक नामसे सम्बोधन करगइल बा । दुई जने बन्दी आपन नाउ प्रयोग करना अनुमति प्रदान करलै ।

कास्कीस्थित बाल सुधार गृहमे रहल आगन्तुक कक्षमे १४ वर्षीय बालकसंग एकल रुपमे अन्तर्वार्ता लेगइल । उ बालकके उमेरके कारण ओ हुकार संरक्षण ओ सुरक्षाहे सुनिश्चित करक लाग फेन यि प्रतिवेदनमे हुकार काल्पनिक नाउ डेगइल बा ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल २०७२ फागुन २६-२९ गतेके अवधिमे टीकापुर ओ लग्गेक गाउमे स्थानीयसंग ओ उ क्षेत्र ओ सदरमुकामके मानवअधिकारवादी, शिक्षक, वकिल, व्यवसायी ओ पत्रकार समेत कइके करिब ३० जनहनसंग बाटचिट करल । संस्थासे चार जाने सरकारी अधिकारी : सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला अदालत रेजिस्ट्रार, इलाका प्रशासनके प्रमुख ओ धनगढी कारागारके वार्डेनसँग फेन बाटचिट करल । यकर अलावा अभियोगपत्र, अदालतके अन्तरिम आदेश ओ डोटी पुनरावेदन अदालतमे बन्दी ओइनके तरफसे दर्ता कैगइल आवेदन लगायत अन्य कानुनी दस्तावेजके फेन समीक्षा करल ।

आजसम ५८ जनहन आरोपित करार कैगइल बा । उ मध्ये असारके अन्त्यसम २५ जनहन पक्राउ कैगइल बा । आरोपितमध्ये दुई जने बालक बटै । कैलाली जिल्ला अदालतमे यि मुद्दा विचाराधीन बा । यि प्रतिवेदन लिख्टी रहट समयसम, थुनछेक विरुद्धके निवेदन सर्वोच्च अदालतमे विचाराधीन रहे ।

२.पृष्ठभूमि

राज्य ओ तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीचके दशवर्ष नम्मा सशस्त्र द्वन्द्वहे २०६३ के बृहत शान्ति सम्झौतासे आधिकारिक रुपमे अन्त्य करल । अन्तरिम संविधान २०६३ मे राज्यके पुर्नसंरचना करना ओ ऐतिहासिक रुपमे सिमान्तकृत, महिला, दलित, जनजाति (थारु समेत समावेश कैगइल आदिवासी समूहहुक्र), ओ अन्य अल्पसंख्यकविरुद्धके संरचनागत भेदभावहे सम्बोधन करक लाग राजनीतिक प्रतिबद्धता समावेश रहे । दुईथो संविधान सभा ओ नम्मा विलम्बपाछे दुश्रा संविधानसभासे २०७२ भदौ ३१ गते नयां संविधान पारित हुइल । ओकरपाछे राष्ट्रपतिसे २०७२ असोज २ गते औपचारिक रुपमे संविधान जारी हुइल ।[3]

संविधानके विषयवस्तुमे सम्झौता वार्ता करटी रहल राजनीतिक दलहुक्रे २०७२ वैशाखमे आइल भुकम्पके पांच महिना नैबिट्टी हाली हाली मूल कानुनके लिखतहे अनुमोदन करलै । ऐतिहासिक रुपमे सिमान्तकृत समुहहुक्रे सो दस्तावेजसे राजनीतिक ओ आर्थिक दुनु क्षेत्रमे नम्मा समयसे विद्यमान रहल संरचनागत भेदभाव ओ सिमान्तकृतके मागहे सम्बोधन करकलाग विगतके राजनीतिक प्रतिबद्धताहे पूरा कइना असफल रहल दावी करट रहै ।[4]

दुस्रा संविधानसभासे संविधान पारित करटी रहल बेला देशके ७५ मध्ये ६ जिल्ला (कैलीलीसहित) मे हुइल हिंसात्मक राजनीतिक विरोध प्रदर्शनके कारण कर्फ्यू जारी कैगइल रहे ।[5] यि सक्कु जिल्लामे देशके दक्षिणी समथल भूमि अर्थात तराई क्षेत्रमे अवस्थित रहे, जहा थारु ओ मधेशीके बाहुल्यता रहल बा ।

सन् २०११ मे कैगइल जनगणना अनुसार थारुन्के जनसंख्या १७ लाख अर्थात कुल जनसंख्याके ६.७% रहल बा । ओइने दुस्रा भारी जनजाती समुहमे पर्ठै ओ ऐतिहासिक रुपमे तराईके जिल्लामे बसोबास करटी आइल बटै ।[6] तथापि विभिन्न कारणले थारुन्के स्थानीय राजनीतिक प्रभाव ओ भूमि उप्परके स्वामित्वमे भारी गिरावट आइटा ।[7] विशेष कइके १९औं शताब्दीपाछे तराई क्षेत्रमे राज्यके बहरटी रहल प्रभाव ओ सन् १९५० के दशक पाछे औलो उन्मूलन

---

[3] हेरी इन्टरनेसनल क्राइसिस् ग्रुप, *Nepal's Divisive New Constitution: An Existential Crisis*, April 2016, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/nepal/276-nepal-s-divisive-new-constitution-an-existential-crisis.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३)

[4] हेरी इन्टरनेसनल क्राइसिस् ग्रुप *Nepal's Divisive New Constitution: An Existential Crisis*, April 2016.

[5] डिएफआइडि-जिआइजेड रिस्क म्यानेजमेन्ट अफिसके सिचुएसन रिपोर्ट, ३१ भदौ २०७२, www.rapnepal.com/file/3861/download?token=PkajIhlA मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ॥

[6] हेरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, *Population Monograph of Nepal vol2 (Social Demography)*, 2014, http://cbs.gov.np/image/data/Population/Population%20Monograph%20of%20Nepal%202014/Population%20Monograph%20V02.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[7]थारुहुकनमे भूस्वामित्वहे अभिलेख करना सीमित प्रचलन रहलक ओरसे नेपाल राज्यके विस्तारसे आगे थारुन्के भूमि उप्परके स्वामित्वके अनुमान लगइना कठिन बा । तथापि एक थारु इतिहासकारके अनुसार १०० बर्ष आगेसम थारु ओइने पश्चिम तराईके ९०% भूभागके स्वामित्व ग्रहण करले रहै । हेरी, J. Nepal and T. S. Tharu, *What Lies at the Heart of the Tharus' Stir*, http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2015-08-24/what-lies-at-the-heart-of-tharus-stir.html मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

कार्यक्रम लागू हुइल पश्चात पहाडीमूलके बासिन्दाहुकनके उ क्षेत्रमे बसाइसराइ ढेर बरहल बा ।[8]

मध्य ओ सुदूर पश्चिममे राज्यके विस्तार पाछे थारु समुदायके इतिहास ओइनके दृष्ट्रिकोणमे देशके पहाडी क्षेत्रके उच्च जातिन्के पुरुषहुकनके नियन्त्रणमे रहल राज्य संयन्त्रसे हुइल राजनीतिक वञ्चितीकरण, गरिबी, भूमिहिनता ओ ऋणग्रस्ततामे फसल बा ।[9]

आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमे हुइल मानवअधिकार उल्लङ्घनके घटनाके थारु समुदाय उप्पर भारी प्रभाव परल रहे । उदाहरणके लाग, बर्दिया जिल्लामे मानवअधिकारके लाग राष्ट्र सङ्घीय उच्च आयुक्तके कार्यालय (ओएचसिएचआर)से अभिलेखन कैगइल बलजफ्त वेपत्ता पारगइल घटनामध्ये ८५% से ढेर थारु समुदायसंग सम्बन्धित रहे ।[10] सन् २०१२ मे नेपालके द्वन्द्वसम्बन्धी ओएचसिएचआरके प्रतिवेदनसे सो जिल्लासे "नेपालके कौनो फेन क्षेत्रसे ढेर महा भयङ्कर गैरकानुनी हत्या ओ वेपत्ता परना काम" के सामना कर परल । अइसिन "प्रवृत्तिले सुरक्षा फौजके खास व्यक्ति ओ थारु आदिबासी समूह असक निश्चित समूहके सदस्यहुकन निशाना बनाइल ओर संकेत" करठ ।[11]

उप्पर उल्लिखित विषय राज्य संरचना ओ पदाधिकारीहुकन उप्परके ऐतिहासिक अविश्वासके वृहत परिस्थितिके उदाहरण हो । सशस्त्र द्वन्द्वके अन्त्यपाछे अन्य ढेर जनजाती समूहहुक्क जैसिन थारुहुक्क फेन नेपाली राज्यके पुनर्संरचनाके माग करटी आइल बटै । अझ विशेष कइके, थारुहुक्के सुदूरपश्चिममे आपने पहिचानमे आधारित स्वायत्त थरुहट वा थारुवान प्रान्तके माग करले बटै ।[12]

---

[8] A. Guneratne. Tharu-State Relations in Nepal and India. *Himalaya, the Journal of the Association for Nepal and Himalayan Studies:* Vol. 29: No. 1, Article 2. Available at http://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1849&context=himalaya मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[9] सुरेश चौधरी, *The Process of State Modernisation and Marginalisation of Tharu Identity of Tharuwan Province*, 2009, http://www.socialinclusion.org.np/new/files/Suresh%20Chaudhary_1365499880dWhc.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[10]http://nepal.ohchr.org/en/resources/Documents/English/reports/HCR/2008_12_19_Bardiya_Report_Final_E.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[11]http://nepal.ohchr.org/en/resources/Documents/English/reports/HCR/2008_12_19_Bardiya_Report_Final_E.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[12] दुनु शब्दावली एकऔरक परिपूरकके रुपमे प्रयोग हुइलेसे फेन ओम्न राजनीतिक भिन्नता यि अर्थमे रहल बा कि थारुवान् प्रान्त कना शब्दावली तत्कालीन नेकपा-माओवादी पार्टीसे सुरुमे उठाइल हो । सो दलहे थारुहुक्के देशके पहाडीमूलके पुरुषहुक्के नेतृत्व करल पार्टीके रुपमे हेरठै । थप विवरणके लाग हेरी : । Maycock, *The Influence of the Tharuhat Autonomous State Council*, July 2011, http://nepalpolicynet.com/images/NewAngle/Vol1/6_Maycock_Tharuhat%20autonomous%20state%20council.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) । कैलाली थरुहट आन्दोलनके बलगर आधारभूमि हो जंहा एकथो मुख्य नेताके रुपमे लक्ष्मण थारु रहल बटै । उ द्वन्द्वके क्रममे माओवादी पार्टीके सदस्य रहै । २०७३ असारसम टीकापुर हत्यासंग सम्बन्धित पक्राउ परना २५ जनेमे उ फेन एक हुइटै ।

नौ वर्ष नम्मा संविधान निर्माण प्रक्रियामे सुदूरपश्चिम सहित देशके विभिन्न भागमे हिंसाके घटना हुइल । सन् २०१२ मे कैलाली ओ कञ्चनपुरमे मुख्यतः पहाडी मूलके बासिन्दाहुकनक "अखण्ड सुदूरपश्चिम" आन्दोलनके समर्थकहुक्र ओ थारु समूहबीच हिंसात्मक झडपके घटना हुइल । सन् २०१२ के हिंसाके क्रममे थारुविरुद्ध प्रहरीद्धारा अत्यधिक बलप्रयोग हुइल आरोप व्यापक रहे,[13] वम्ने धनगढीके सेती अञ्चल अस्पतालमे थारु अभियन्ताहुकन प्रहरीसे कुटपिट करल फेन समावेश रहे ।[14] भर्खरे मात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसे २०७२ मे नेपालके संविधान जारी हुइनासे आगे ओ पाछे देशके विभिन्न भागमे हुइल विरोध प्रदर्शनमे सुरक्षा फौजसे हुइल अत्यधिक बलप्रयोग सहितके मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी एक प्रतिवेदन जारी करल बा ।[15]

टीकापुर : २०७२ भदौ ७ के विरोध प्रदर्शन ओ ओकर परिणाम

२०७२ भदौ ७ गते लग्गेक गांउसे हजारौके संख्यामे थारु समुदायके मनै विरोध प्रदर्शनमे सहभागी हुइटी टीकापुरके केन्द्रविन्दु ओर आगे बहरलै । ओइने नयां संविधानके सम्झौता-वार्ताके क्रममे सरकारसे प्रस्ताव कैगइल सङ्घीय सीमाके विरोध करटी एकथो अलग्गे स्वायत्त थरुहट प्रान्तके माग करटहै । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँग बाटचिट करल दुई जने व्यक्तिके कहाइ अनुसार भीडमे प्रहरीसे अश्रुग्यास प्रहार हुइलपाछे प्रहरी उप्पर कुछ प्रदर्शनकारीसे आक्रमण हुइल । उ आक्रमणमे वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित नेपाल प्रहरी ओ सशस्त्र प्रहरीके अन्य सात जने अधिकृतहुकनके मृत्यु हुइपुगल ।[16]

ओकर कुछ घण्टापाछे आठ जने प्रहरी अधिकृतहुकनक हत्या हुइल स्थान लग्गे आपन घरक अंग्नामे रहल सशस्त्रके वरिष्ठ प्रहरी जवान नेत्र साउदके १८ महिने छावाहे अज्ञात आक्रमणकारीहुक्रे गोली मारके हत्या कइलै ।[17]

हत्याके घटना हुइलक कुछ समयभिट्रे कर्फ्यू लागल । सरकारसे स्थितिहे नियन्त्रणमे लेहकलाग नेपाली सेना परिचालन समेत करल । गाउँके प्रत्यक्षदर्शी, मानवअधिकारवादी ओ स्थानीय पत्रकारके अनुसार ओकरपाछेक दिनमे विशेष कइके नेपाल प्रहरीके साथे सशस्त्र प्रहरी ओ नेपाली सेनाके टोलीहुक्र लग्गेक गाउमे प्रवेश कइके धरपकड कइलै ।

---

[13] संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवासीय तथा मानवीय संयोजकके कार्यालय, मासिक प्रगति विवरण, सन् मे २०१२, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Nepal_Monthly_Update_2012-May.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[14] हेरी, द कार्टर सेन्टर, *Observations on Identity-Based Political Activity and Mobilizations in Nepal*, 13 March 2013, https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/cartercenter-report-idbasedpoliticalactivity-eng.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३), पृष्ठ २७ ।

[15] http://www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/NHRC_Nepal_Madhesh_Terai_Protest_Human_Rights_Monitoring_Report_English.pdf df मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[16] टीकापुरमे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २८ फागुन २०७२ ।

[17] टीकापुर हत्यासम्बन्धी थप जनकारीके लाग हेरी, ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) प्रतिवेदन, *"Like we are not Nepalis": Protest and Police crackdown in the Terai*, 2015, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/nepal1015_forupload.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) । (HRW, "*Like we are not Nepalis*").

निशानामे परना डरले गांउके अधिकांश पुरुष गांउ छोरल अवस्थामे अध्धारात हुइल खानतलाशी, हैरानी ओ धम्कीके सामना करुइयामे ढेरसे महिला रहै । उदाहरणके लाग, टीकापुर लग्गेक गांउके एक जने महिला अन्तर्वार्तामे बटाइल अनुसार रातके वंहा लग्गे बैठुइया बरघर (थारु गाउँके नेता)के नाम पुछ्टी आइल प्रहरी हुकहार मुहमे बन्दुक टेर्साके धम्कैटी कहल "तुहिन मारदिउँ?"[18]

कर्फ्यू लगाइल ३६ घण्टापाछे टीकापुरमे थारुन्के घर ओ व्यवसाय उप्पर उ क्षेत्रमे घुम्टीरहल भीरम्से आगजनीके घटना हुइल, जोन २०७२ भदौ ७ गतेके हत्याके प्रतिशोधमे रहल देखाइट ।[19] कैलालीके सहायक प्रजिअहे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसे, कर्फ्यूके बेला डग्रीम रहल सुरक्षाकर्मीहुक्के थारुन्के घर ओ व्यवसायउप्पर हुइल सुनियोजित आगजनी काहे नैरोकलै कहिके प्रश्न कर बेर, हुकार जवाफ रहिन, "प्रहरी ओइनके वत्रा ढेर नोक्सान हुइलक कारण ओइसिन हुइ सेकट ।"[20]

[18] मुनुवा गाविसमे गीता (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २८ फागुन २०७२ ।
[19] थप जनकारीके लाग हेरी, ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) प्रतिवेदन *"Like we are not Nepalis"*, पृष्ठ १९-२० ।
[20] धनगढी प्रजिअके कार्यालयमे उदयबहादुर सिंहसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २७ फागुन २०७२ ।

३.थुनामे यातना

> ‘‘**“ओइनके हाथेम ज्या आइन् उहीनेले महिन पिटै । ओइने महिन मनै असक व्यवहार नैकरलै ।”**[21]
>
> डिल्ली (काल्पनिक नाम)

“एक जने वरिष्ठ थारु राजनीतिज्ञबाहेक धनगढी कारागारमे अन्तर्वार्ता लेगिल सक्कु बन्दीहुक्र थुनामे रहलबेला प्रहरीसे यातना डेगइल आरोप लगइलै । पीडितहुक्रनमे ४६ वर्षके राजनीतिक दलके एक जने कार्यकर्ता, ३३ वर्षके शिक्षक, ३३ वर्षके कृषक ओ ४६ वर्षके बरघर समेत रहै । लाठीले कुटपिट कैगइल, राइफलके कुन्डाले प्रहार कैगइल, ठप्पर मारगइल ओ गालीगलौज कैगइल ओइनके बयानमे समानता रहल रहे ।

एक जने बन्दी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलहे बटाइल अनुसार उहीनहे प्रहरी पक्राउ कइके गारीमे ढरटीसाथ कुटपिट कैगइल रहे । उहिनहे जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका)मे सात दिन थुनामे ढारगइल रहे, जंहा प्रहरी लगातार कुटपिट कइलै । एक पटक उहिनहे उ बेहोश नैहुइटसम प्रहरी पिट्ना काम कइले रहै । ओकपाछे हुकार उप्पर पानी डारके होशमे लानगइल रहे ।[22]

डोसर पुरुषके बटाइल अनुसार उहिनहे थुनामे एकसे ढेर प्रहरी अधिकारी दुई घण्टासम लाठीले पिट्लन, बुटले लाट मरलै, मुक्का प्रहार कइलै ओ प्लास्टिकके पाइपले पिट्लै । हुकार दाबी अनुसार उ समयमे प्रहरी ओइने अत्यधिक मात्रामे डारु पिअल ओइनके सास ओ व्यवहारसे देखाए । एक जने प्रहरी खैनी खाके हुकार मुहमे थुक्ना काम करल ।[23]

टिस्रा बन्दीके बटाइल अनुसार उहिनहे पक्राउ कइके ४० से ४५ जने सुरक्षाकर्मी रहल ट्रकमे ढरगइल, जंहा ओइने डारु पिटी गीत गाइटहै । ट्रकमे उहिनहे गीत गइटी पिट्ना काम कइलै । हुकार कहाइ अनुसार उहिनहे छातीमे पिट्गइल रहे, वहे कारणसे पांच महिनापाछे फेन हुकार छाती बठैठिन ।[24] चौठा बन्दीहे थुनामे रहल बेला उहिनहे आंखीमे पट्टी बाढके भागेक लगाइल ओ गोली डागके हत्या कइदेना धम्की डेहल बटैलै ।[25]

---

[21] धनगढी कारागारमे डिल्ली (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[22] धनगढी कारागारमे रामप्रसाद चौधरीसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[23] धनगढी कारागारमे डिल्ली (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[24] धनगढी कारागारमे गंगा (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[25] धनगढी कारागारमे खुशीराम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।

पच्चा बन्दी उहिनहे अध्धारात पक्राउ करके कुटपिट करल बटैलै । हुकार अनुसार (पाँच, सात ओ बारा बर्षके) तीन नाबालक छाईछावा रुइबेर ओइनहे फेन प्रहरी कुटपिट कइलै ।[26] चार जने प्रहरी आपनहे लाट ओ मुक्का मरलक कारण एकठो कानके श्रवणशक्ति नैरहल डोसर बन्दी बटैलै ।[27] डोसर एक बन्दी विरोध प्रदर्शनमे के रहे कहिके उहिनहे प्रश्न करेबेर महिनहे पता नै हो कहिके जवाफ देलकमे, एक जने प्रहरी कहल, "यिहीनहे बन्वामे लइजाके मारदे ।"[28] डोसर बन्दीके कुटपिटके कारण हुकार डहिना आंखीमे एक महिनासम रगत जमल ओ ओजरार घाममे हुकार आंखी बठइना हुइल बटैलै ।[29]

सरकारद्धारा जारी कैगइल अपाङ्गताके परिचयपत्र पाइल बन्दी मध्ये विश्राम चौधरीहे आपन परिचयपत्र देखाइल बेला समेत प्रहरी उहिनहे कइसिक गम्भीर रुपमे कुटपिट कइलै कहना बारेमे जानकारी डेलै । एकथो हाथ विकलांग रहल ओ कुब्रार रहल उ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलहे बताइल अनुसार अपाङ्गता हुइलक कारण, "विरोध प्रदर्शनमे सहभागी हुइकलाग भौतिक रुपमे वहां जइना कौनो फेन हिसाबले सम्भव नइरहे ।"[30]

उ पुरुषहुकनक फरक-फरक कथा ओइने कहां ओ कइसिक पक्राउ परलै, जिप्रकामे सरुवा हुइनासे आगे एक ठांउसे डोसरमे कइसिक लैजागइलै ओ ओइनहे यातना डेगिलमे कुछ भिन्नता रहल रहे । उद्यपि पक्राउ परना साथ यातना सुरु हुइल चाहे उ सुरक्षाकर्मीके सवारी साधनमे होए, जिल्लाके विभिन्न प्रहरी चौकी (जोशीपुर ओ थापापुरहे नियमित रुपमे उदृत कैगइल रहे) ओ विशेष कइके जिप्रकाके बयानमे भर समानता रहल रहे ।[31] एक जने बन्दी जिप्रकामे हुकार उप्पर कैगइल कुटपिटके कारण हुकार "वहां झण्डै ज्यान गइल बटैलै ।[32] साथे १९ बन्दी मध्ये चार जने मनोवैज्ञानिक यातना ओ धम्कीके सामना करल बटैलै ।

अन्तर्वार्ता डेहुइया मनै स्वतन्त्र रुपमे बटाइल अनुसार सबसे खराब व्यवहार रामप्रसाद चौधरी नाम रहल बन्दी उप्पर कैगइल रहे । रामप्रसादके अनुसार, प्रहरी हुकार आरोपित दोषके मुख्य प्रमाणके रुपमे हुकार मोबाइल फोन जफत कइले रहे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलहे उ बताइल अनुसार पक्राउ पाछे उहिन लगातार एक ठाउंसे डोसर ठांउ सारके गुमराह कइना काम कैगइल । एक पटक उहिन प्रहरी चौकीमे सर्ना बेला उहिनहे प्रहरी बेहोश हुइना मेराइक पिट्लै । हरेक ठांउमे उहिनहे लाठी, राइफलके कुन्डाले प्रहार कइके ओ ठप्पर फेन मरलिन । हुकार दाबी करल अनुसार उहिनहे प्रहरी आंखीमे पट्टी लगाके पिटिन्, जेकर कारण "उहिनहे

---

[26] धनगढी धनगढी कारागारमे भागीराम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[27] धनगढी कारागारमे धनीराम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[28] धनगढी कारागारमे तल्सीराम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[29] धनगढी कारागारमे प्रेम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[30] धनगढी कारागारमे विश्रम चौधरीसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[31] बन्दीहुक्रे उपलब्ध कराइल विवरण नेपालमे गैससहुक्रे अभिलेख करल यातनाके चलन ओ प्रवृत्तिसंग मेल खाइट । ओम्न "यातना प्राय पक्राउके विन्दुमे, प्रहरी कार्यालयओर लैजइना क्रममे, स्थानीय प्रहरी चौकीमे ओ जिल्ला या नगरपालिकाके प्रहरी कार्यालयमे देना कैजाइट । " एडभोकेसी फोरम, *Continuing Torture during 2015*, June 2016, available at http://advocacyforum.org/publications/June26Report.pdf मे उपलब्ध (हेर्रगिल ३ श्रावण २०७३), पृष्ठ ११ ।
[32] धनगढी कारागारमे बालकृष्ण (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।

के कुटपिट करल कना पता ना चले ।" कारागारके डण्डी भिट्टरसे चौधरी एम्नेस्टी इन्टरनेसनहे आपन पख्रामे लागल चोटके दाग दखैले रहै ।[33]

१४ वर्षीय बालकहे यातना

यातना डेगइल मध्ये एक जने १४ वर्षीय बाल फेन रहल बलगर संकेत पाजाइठ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँग कास्की जिल्ला स्थित बाल सुधार गृहमे २०७३ वैशाख २१ गते हुइल अन्तर्वार्तामे उ बालक टीकापुर घटनामे संलग्न अन्य १४५ जनहनके नाम प्रहरीहे डेहल बटैलै । सक्कु १४५ जनहन अपने चिन्हल कहिके उ जोर डेलै । उद्यपि विशेष कइके ओइने आपन छिमेकी ओ नातेदार नैरहल ओ सबजने हुकार वडामे बसोबास करुइया फेन नैरहल तथ्य उ स्विकार करलै । ओइसिन अवस्थामे उ सक्कुहुन कइसिक चिन्हल कहना विषयमे उ कौनो प्रतिक्रिया नैडेलै ।[34] सो मुद्दासँग परिचित एक जने वकिलसंग हुइल अलग्गे अन्तर्वार्तामे उ वकिल सो बालकसे अदालतमे डेहल बयानमे हत्यामे संलग्न ११ जने बन्दीहुकनक नाम डेहल उल्लेख कइलै ।[35] उ बालक धनगढीमे रहल बेला उहिनसंग बाटचिट करुइया एक जने बालअधिकारकर्मीके अनुसार ओम्ने जिम्मेवार प्रहरी अधिकृत उहिनहे उ नाम "खुलासा" करक लाग बहकाइल रहे ।[36] एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसे उ बालकहे आक्रमणमे संलग्न मनैनके नाम उपलब्ध कराइक लाग प्रहरी बाध्य पारल कि कना प्रश्न करबेर, उ आपन उप्पर दबाब देना वा जर्बजस्ती बयान देना बाध्य पर्ना काम कोइ फेन नैकरल ओ उहिनहे कुटपिट फेन नैकइगिल बटैलै ।[37]

यद्यपि, औरे भेटमे, उ बालकके नट्वा अपने सो बालकके बुडुहे उ धनगढीमे थुनामे रहल बेला भेट करे गइल बटैलै ।[38] हुकार नट्वक अनुसार, उ बालक आपन बुडुहे देखके उहिनहे औरजे नैसुन्ना मेराइक ढिरे स्वरमे, "ओइने महिन पिट्लै" कहटी आपन शरीरके विभिन्न भाग ओ गोराओर संकेत कइले रहै ।

उ बालकहे यातना देके बन्दी ओइने हत्याके लाग जिम्मेवार ठहराइक लाग प्रहरी कैसिक बालकहे प्रयोग करल रहे कना विषयमे धनगढीमे अन्तर्वार्ता लेगइल बन्दी ओइने फेन एम्नेस्टी इन्टरनेसनहे व्याख्या कइले रहै । ओइनके अनुसार प्रहरी उ बालकहे पक्राउ करगैल हुकनक आगे ठहरवाके भदौ ७ गते हुइल प्रहरीके "हत्यारन्के पहिचान करे" लगाइल रहे । ओइने दाबी करल अनुसार प्रहरी उ बालकहे हरेक बन्दीहे देखैटी ओइनके नाउ कहे लगाइल । बन्दी ओइनके अनुसार उ बालक स्पष्ट रुपमे पीडामे रहे । एक जने बन्दीके शब्दमे, "हमारसँग रहल बेला उ मजासे बैठे फेन नैसेके, ओइसिन हुइटसम उहिनहे पिटगिल रहे।"

[33] धनगढी कारगारमे रामप्रसाद चौधरीसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[34] धनगढी कारगारमे वीरबल (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २१ वैशाख २०७३ ।
[35] धनगढी कारगारमे हिरा (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, ३ साउन २०७३ ।
[36] बालअधिकारवादीसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके फोन अन्तर्वार्ता, २५ चैत २०७२ ।
[37] धनगढी कारगारमे वीरबल (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २१ वैशाख २०७३ ।
[38] शिव (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके फोन अन्तर्वार्ता, २८ जेठ २०७३ ।

बन्दीओइनके अनुसार उ बालकहे पिटके बन्दी ओइनके नाउ याद करना निर्देशन देगइल रहे ।[39]

एड्भोकेसी फोरमसे नेपाल भरिक बन्दीगृहके अनुगमन करेबेर वहां उच्च दरके यातना ओ अन्य दुर्व्यवहार हुइटी रहल पागइल । सन् २०१५ मे यि दर औसतमे सक्कु बन्दीन्के १७.२% रहल रहे । आउर महत्वपूर्ण रुपमे अनुगमनमे बाल बन्दीन् ढेर यातना वा अन्य दुर्व्यवहारके सामना कर परल देखगइल, जोन वयश्कहुक्र (वयश्क बन्दीके १५.९%) के तुलनामे बाल बन्दीहुक्र (१८ बर्षसम्म)के २१.७% रहल रहे ।[40]

[39] धनगढी कारागारमे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[40] एडभोकेसी फोरम, *Continuing Torture during 2015*, June 2016, available at http://advocacyforum.org/publications/June26Report.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

४.बलजफ्त “साविती बयान”

धनगढी कारागारमे रहल बन्दीहुकन टीकापुर विरोध प्रदर्शनके क्रममे हुइल हिंसासंग सम्बन्धित ज्यानमारा, ज्यानमारा उद्योग ओ चोरी-डकैती करल आरोप लगागइल बा । प्रहरी उ सक्कुजनहन “साविती बयान”मे बलजफ्ती हस्ताक्षर करे लगाइल दाबी करठै ।

प्रहरी कुटपिट करलपाछे एकथो दस्तावेजमे उहिनहे हेरही नैदेके हस्ताक्षर कर बाध्य बनाइल रामप्रसाद चौधरी एम्नेस्टी इन्टरनेसनहे बटैलै । हुकार अनुसार सो दस्तावेजके अर्न्तवस्तुबारे सोधखोज करेबेर उहिनहे थप कुटपिट कैगइल । अन्य बन्दीन् असक आपन हात फेन जर्बजस्ती पकरके सो दस्तावेजमे हस्ताक्षर करना बाध्य बनाइल रामप्रसाद चौधरी बटैलै ।[41]

आपनहे यातना देहल आरोप नइलगैना सो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ बाहेक अन्तर्वार्ता लेगइल सक्कु बन्दीहुक्र आपनहे पहिलेहे तयार कैगइल बयानमे हस्ताक्षर करक बाध्य बनागइल ओ सो दस्तावेजमे लेखगइल बात परहे नैडेगइल बटैलै । आपनहे हस्ताक्षर करक लगाइल दस्तावेजमे का बा कहिके पुछबेर, ओइनहे आउर कुटपिट कैगइल ओइने जानकारी डेलै । एक जने बन्दी बटाइल अनुसार उहिनहे प्रहरी कुटपिट कइके घेचा डाबके एकथो दस्तावेज (जेकर अन्तर्वस्तुबारे उहिनहे जानकारी नइरहिन) मे हस्ताक्षर करेक लगइलै । उ क्रममे प्रहरी हुकार हात जबर्जस्ती पकरके हस्ताक्षर करैलै ।[42] विश्राम चौधरी फेन “साविती बयान”मे हस्ताक्षर कराइक लाग प्रहरीसे “भयङ्कर” कुटपिट कैगइल बटैलै ।[43] एक जने पुरुषहे चारजने प्रहरी बलजफ्ती “साविती बयान”मे औंठा छाप लगाइक लगइलै ।[44] डोसर बन्दी एकथो कागजपत्रमे बलजफ्ती हस्ताक्षर करक लगागइल ओ आपनहे का चिजमे हस्ताक्षर करागइल कहिके पुछबेर, एक जने प्रहरी अधिकृत, “बहै पुगके पता पइबे ” (अर्थात उ अदालत गइलपाछे) कहलै ।[45] यातना डेके ओ बयानमे बलजफ्ती हस्ताक्षर करक लगाके सक्कुजे आपन उप्पर ज्यानमारा, ज्यानमारा उद्योग ओ चोरी-डकैती आरोप लगागइल बात अदालतमे पुगलपाछे अभियोजनकर्ता आरोप पहरके सुनाइ बेर किल पता पइलै ।

उ १४ वर्षीय बालक उहिनहे पक्राउ परल पाछे सात या आठथो कागजपत्रमे हस्ताक्षर करल मने ओम्न का लेखल रहे कना पता नइरहल बटैलै ।

कागजपत्रके अन्तर्वस्तु उहिनहे पहरके नैसुनागइल ओ प्रहरी परहे फेन नैडेलै ।[46] हुकार विरुद्ध प्रहरी का आरोप लगा गइल बा कना बात उहिनहे पता नैरहे ।

---

[41] धनगढी कारागारमे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।

[42] धनगढी कारागारमे गंगा (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।

[43] धनगढी कारागारमे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।

[44] धनगढी कारागारमे सीताराम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।

[45] धनगढी कारागारमे पदम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।

[46] धनगढी कारागारमे वीरबल (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २१ बैशाख २०७३ ।

यि बन्दीनसे व्याख्या कैगइल व्यवहारसे निर्दोषिताके पूर्वानुमान अर्थात फौजदारी अपराधके आरोप लगागइल कौनो फेन व्यक्ति कानुन अनुसार निष्पक्ष सुनुवाइ पाछे दोषी नैठहरटसम निर्दोष रहल अनुमान करपरना अधिकारहे स्पष्टरुपमे उल्लङ्घन कैगइल देखाइट । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ओ नेपाली कानुन अन्तर्गत निर्दोषिताके पूर्वानुमान अनुसार फौजदारी अपराधके आरोप लगागइल कौनो फेन व्यक्तिहे दोषी स्वीकार करना या आपन विरुद्ध साक्षी बैठना बाध्य बनाइ नैपाजाइट । यकर अर्थ यातना ओ अन्य दुर्व्यवहार या अन्य प्रकारके बलप्रयोगके फलस्वरुप लेगइल बयानहे सक्कु प्रक्रियामे प्रमाणके रुपमे समावेश नै कैजइना चाहि । यकर अतिरिक्त, नेपालसे अनुमोदन कैगइल महासन्धि सहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसे यातना ओ अन्य दुर्व्यवहारहे पूर्णतः प्रतिबन्धित कैगइल बा ।

५.स्वास्थ्य सेवासे वञ्चित कैगइल

नेपाली कानुन अनुसार बन्दीन्हे थुनामे लानलपाछे ओ थुनामुक्त हुइलपाछे स्वास्थ्य जांच कैजाइट ।[47] एकथो गैससससे भर्खरे जारी कैगइल प्रतिवेदनमे सो गैससससे नियमित रुपमे भ्रमण करजइना बन्दीगृह हुइल कुछ जिल्लामे थुना अवस्थामे झण्डै ९०% बन्दीहुक्र स्वास्थ्य जांचके सेवा प्राप्त करल देखजाइट । तथापि उ मध्ये कुछ जांच झारा टर्ना हिसाबके ओ प्राय प्रहरी अधिकृतके उपस्थितिमे हुइटी रहल पागइल बा ।

प्रतिवेदनमे ओइसिन जांच गोप्य रुपमे करे परना ओ स्वास्थ्य जांच तथा उपचार थुना अवस्थाके कौनो फेन समयमे बन्दीहुक्र आग्रह करल बेला उपलब्ध कर परना आवश्यकताहे पहिचान करले बा ।[48] विशेष कइके तराईमे केन्द्रित डोसर गैससके प्रतिवेदनसे अन्तर्वार्ता लेगइल बन्दीमध्ये करिब आधा जने केल थुना अवस्थामे स्वास्थ्य जांच सुविधा प्राप्त करल उल्लेख करले बा ।[49]

सो मुद्याबारे जानकारी ढरना एक वकिलके अनुसार प्रहरीसे टीकापुर मुद्यासंग सम्बन्धित अधिकांश बन्दीहुकन स्वास्थ्य जांचके लाग लैगइल मने चिकित्सकहुक्र झारा टर्ना हिसाबसे केल जांच करल रहै ।[50]

आपनहे यातना डेगइल कहटी उजुरी करल पाछे जिल्ला अदालतसे आदेश डेगइल अनुसार विशेष चिकित्सा जांच प्रदान कैगइल कहिके एम्नेस्टी इन्टरनेसनहे बटैना रामप्रसाद चौधरी एक्कथो केल बन्दी रहै । उ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलहे बटाइल अनुसार हुकार कुम्हा टुटल, शरीरभर चोट रहल रहिन्, ओ स्वास्थ्य जांचसे उहिनहे यातना डेगइल ठहरल । पक्राउ परल चार दिन आगेसे लागल टाइफाइडके दवाइ उपलब्ध करइना प्रहरीसे अस्वीकार करल, ओ पक्राउ परल पाछे एक महिनासम उहिनहे दवाइ प्रदान नै कैगइल फेन जानकारी डेलै ।[51]

---

[47] यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ अनुसार, "कौनो फेन व्यक्तिहे बन्दी बनाइबेर या रिहा करे बेर सम्बन्धित अधिकारी उ व्यक्तिहे सकेसम सरकारी सेवामे संलग्न चिकित्सकसे भौतिक रुपमे जांच कराइ परट ओ ओइसिन चिकित्सक उपलब्ध नैहुइल अवस्थामे स्वंय अपनेहे सो व्यक्तिके जांच करना, ओ सो के अभिलेख ढरना ।" ऐनके खण्ड ३(२), http://www.lawcommission.gov.np/en/documents/2015/08/compensation-relating-to-torture-act-2053-1996.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[48] एडभोकेसी फोरम, *Continuing Torture during 2015*, June 2016, available at http://advocacyforum.org/publications/June26Report.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[49] हेरी THRD Alliance k|sfzg, *Torture in the Terai*, June 2016, http://thrda.org/wp-content/uploads/2016/06/English_Final-Torture-in-the-Terai.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[50] काठमाडौंमे हिरा (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, ३ साउन २०७३ ।

[51] धनगढी कारागारमे रामप्रसाद चौधरीसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।

रामप्रसाद चौधरी बाहेक अन्य कोइ फेन विशेष सरकारी स्वास्थ्य जांचके सेवा या अन्य कौनो प्रभावकारी चिकित्सा सहयोग नैपाइल बटैलै । तथापि कोइ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलहे ओकर लाग अपने प्रहरीसमक्ष लिखित रुपमे निवेदन डेहल बटैलै । विश्राम चौधरी आपनहे प्रहरी कुछ *पेनकिलर* (दुखाइ कम करना) दवाइ हुकार पीडा "बहुत गम्भीर" हुइल अवस्थामे केल डेहल बटैलै ।[52] डोसर पुरुष प्रहरीहे दवाइक लाग आग्रह करेबेर प्रहरी "(उहिनहे) पैसा बा" कहिके पुछ्टी, आपन दवाइ अपनहे किने परना सुझाव डेहल रहै ।[53]

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ओ मापदण्डअन्तर्गत बन्दीन्हे थुनामे लन्नासाथ सकेसम हाली स्वतन्त्र स्वास्थ्य जांचके सुविधा प्रदान करपरट । ओइने कौनो फेन समस्या गोप्य स्वास्थ्य जांचके माग कइके प्राप्त करे सेकपरट, अधिकारी ओइने आग्रहहे नैमन्ना काम नइ करेपरट । कौनो कैदी या बन्दी यातना या अन्य कौनो दुर्व्यहारके आरोप लगइलेसे या ओइनहे यातना डेगइल या अन्य प्रकारले दुर्व्यवहार कैगइल विश्वास करना अन्य कारण हुइलेसे अधिकारीहुक्रनके कौनो हस्तक्षेप बिना स्वतन्त्र चिकित्सकसे ओइनके तत्काल जांच करपरट ।

[52] धनगढी कारागारमे विश्रम चौधरीसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[53] धनगढी कारागारमे गंगा (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।

६.स्वेच्छाचारी पक्राउ

एम्नेस्टी इन्टरनेसनसे अन्तर्वार्ता लेगइल ढेरजे आपन विरुद्ध लगागइल आरोपमे निर्दोष रहल बटैलै । ओस्तके कुछ बन्दीहुक्र विरोध प्रदर्शनके क्रममे अपने उपस्थित हुइल स्वीकरलै कलेसे कोइ अपने उ समयमे अन्य स्थान ओ अन्य जिल्लामे रहल दाबी करलै । एक जने पुरुष प्रहरीउप्पर टीकापुरमे आक्रमण हुइबेर अपने जिल्लाके एकथो प्रहरी चौकीमे प्रहरी जवानके उपस्थितिमे खेतीसम्बन्धी मुद्दामे छिमेकीसंग वादविवाद करटी रहल बटैलै ।[54]

एम्नेस्टी इन्टरनेसनसे अन्तर्वार्ता लेगइल कुछ मनै अपने पक्राउ परनाके कारण अन्य कुछ नैहोके केवल स्थानीय थारु समुदायके सदस्य रहल बटैलै । एक जने पुरुष उ पक्राउ परनाके कारण अपने बरघर हुइल ओ थारुन्हे प्रदर्शनमे सहभागी हुइकलाग प्रोत्साहन करल कहिके प्रहरी शंका करल बटैलै ।[55] डोसर पुरुष एम्नेस्टी इन्टरनेसनहे बटाइल अनुसार उ विरोध प्रदर्शनके घाइते हुइल मनैनहे अस्पतालमे हेरे गइल बेला पक्राउ परलै ।[56] विश्राम चौधरी अपने थारु हुइलक कारण निशाना बनागइल ओ उहिनहे पक्राउ कइके प्रहरी अइसिक कहलै, “साला तै थारुहे थरुहट चाहल ?”[57]

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतके नेपालके दायित्व साथे अन्तरिम संविधान २०६३ (धारा २४(१)) ओ २०७२ के संविधान (धारा २०(१))मे व्यवस्था कैगइल प्रावधानके बाबजुद, बन्दीन् मध्ये किहुहे फेन पक्राउ करना समयमे ओइनहे पक्राउ परनाके कारणबारे जानकारी नैडेगइल।

[54] धनगढी कारागारमे प्रदीप (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[55] धनगढी कारागारमे डिल्ली (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२, टीकापुर ओ छिमेकी गाउँमे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता प्रहरीसे पक्राउके लाग बरघर सहित स्थानीय नेताहुकनहे निशाना बनागैल खुलासा करल ; ओ पत्रकारसँग टीकापुरमे २७ फागुन २०७२ ओ मुनुवा गाविसमे गाउँलेन्सँग २८ फागुन २०७२ मे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता ।
[56] धनगढी कारागारमे पदम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।
[57] धनगढी कारागारमे विश्रम चौधरीसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके अन्तर्वार्ता, २९ फागुन २०७२ ।

७. नेपालके अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनी दायित्व

यातना ओ अन्य दुर्व्यवहारके सम्बन्धमे

यातना ओ अन्य दुर्व्यवहार या सजाय उप्परके प्रतिबन्ध निरपेक्ष हो । यि प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनके मान्यता हो जोन सक्कु राज्यहे सक्कु परिस्थितिमे लागु हुइट । सो प्रतिबन्ध नेपाल पक्षराष्ट्र रहल महासन्धिमे फेन स्पष्ट रुपमे उल्लेख कैगइल बा : यातनाविरुद्धके राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (क्याट), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आइसिसिपिआर) ओ बालअधिकार महासन्धि (सिआरसि) ।[58] यातना विरुद्धके महासन्धिसे पक्ष राष्ट्रहुकनक दायित्वके रुपमे यातनाके सक्कु काम आपन फौजदारी कानुनअन्तर्गत अपराध ठहर कैगइल ओ ओकर गम्भीर प्रकृतिहे ध्यानमे ढारके उपयुक्त सजायद्धारा दण्डित कैगइल सुनिश्चित करना हो । साथे यातनाके पीडित उपचार पाइल ओ सम्भव हुइलसमके पूर्ण पुनर्स्थापनाके माध्यमसहित उचित ओ उपयुक्त क्षतिपुर्तिके अधिकार पाइल आपन कानुनी प्रणालीमे सुनिश्चित फेन कैजइना चाहि । आइसिसिपिआरसे फेन पक्ष राष्ट्रहुकन उप्पर उल्लङ्घनके लाग प्रभावकारी उपचारके अधिकार सुनिश्चित करना दायित्व स्थापित करले बा ।

नेपालके संविधानके धारा २२(१) से “पक्राउ परल या थुनामे रहल मनैन शारीरिक या मानसिक यातना देना या निजसंग निर्मम, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नैहुइ” ओ २२(२) से “उपधारा (१) बमोजिमके काम कानुन बमोजिम दण्डनीय हुइ ओ ओइसिन व्यवहारसे पीडित मनैयाहे कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति पइना हक रही” कना व्यवस्था करल बा ।[59]

संविधानके धारा ३९(७) से फेन “कौनो फेन बालबालिकाहे घर, विद्यालय या अन्य जोनफेन ठांउ ओ अवस्थामे शारीरिक, मानसिक या अन्य कौनो मेराइक यातना देह नैमिलि ” कना व्यवस्था करल बा ।

---

[58] नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध ओ यकर पहिल ऐच्छिक उपलेखहे बिना कौनो सर्त या अतिरिक्त घोषणा ३१ बैशाख २०४८ मे ग्रहण करल । दोसर ऐच्छिक उपलेखहे २० फागुन २०५४ मे विना कौनो सर्त या अतिरिक्त घोषणा ग्रहण करल । नेपाल बालअधिकार महासन्धि (सिआरसी)के कौनौ सर्त विना २९ भदौ २०४७ मे अनुमोदन करल । नेपाल यातना ओ अन्य क्रुर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजाय विरुद्धके महासन्धि (क्याट)के ३१ बैशाख २०४८ मे ग्रहण कइले रलेसे फेन ओकर ऐच्छिक उपलेखहे अभिनसम अनुमोदन नैकइले हो । अन्य सन्धिके अनुमोदनके अवस्थासम्बन्धी विवरणके लाग हेरी , : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=122&Lang=EN (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[59] नेपालके संविधान (२०७२) धारा २२

यकर अतिरिक्त, प्रमाण ऐन २०३१ मे बलप्रयोग, यातना या यातनाके धम्कीमार्फत हासिल कैगइल तथ्यहे प्रमाणके रुपमे लेहे नैसेक्जइना व्यवस्था समावेश बा ।[60]

नेपालमे यातना पीडितन्के लाग एकथो केल कानुनी सहाराके रुपमे रहल यातना सम्बन्धित क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ से यातनाके लाग क्षतिपूर्ति ओ सजायके विषयहे सम्बोधन करट । यद्यपि नेपालके अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व विपरीत यि यातनाहे अपराधीकरण करना काम नैकरले हो । यि ऐनमे यातनाहे सम्बन्धित निकायसे मुद्याके सुनुवाई कइना जिल्ला अदालतके आदेशमे अनुशासनके विषयके रुपमे दण्डित कैगइल बा । ओमने सजाय अपराधी आबद्ध रहल सुरक्षाफौजसे निर्णय करि ।[61]

स्वेच्छाचारी पक्राउके सम्बन्धमे

आइसिसिपिआरके धारा ९ से किहुहे फेन स्वेच्छाचारी पक्राउ करना या थुनामे ढरना काम नै कइना ओ पक्राउ कैगइल कौनो फेन मनैन सुरुमे पक्राउ करलक कारणबारे जानकारी करइनाके साथे सो व्यक्ति विरुद्ध लगागइल आरोपबारे फेन तत्काल सूचित करे परना व्यवस्था कैगइल बा । धारा १४ से फौजदारी अपराध करल आरोप लगागइल सक्कु व्यक्तिहे कानुन अनुसार दोषी नैठहरटसम निर्दोष मानजइना अधिकारके व्यवस्था करगइल बा ।

नेपालके संविधानसे "न्यायसम्बन्धी हक"के परिकल्पना करल बा,[62] जमने पक्राउ परनाके कारणबारे सूचना पइना अधिकार, पक्राउ परल समयसे नै कानुन व्यवसायीसंग सल्लाह करे पइना अधिकार, ओ पक्राउ परल समय तथा ठांउसे डगरके म्याद बाहेक पक्राउ परल चौबीस घण्टाभिट्रे मुद्या हेरना अधिकारी समक्ष उपस्थित कराइ परना अधिकार रहल बा । यम्न आपन विरुद्ध करगइल कारबाहीके जानकारी पइना अधिकार ओ कसूर प्रमाणित नैहुइटसम कसूरदार नैमानजइना कहिके व्यवस्था फेन करगइल बा ।

यकर अतिरिक्त, नागरिक अधिकारसम्बन्धी ऐन २०१२ से पक्राउ परगइल कौनो मनैनहे "सकेसम्म हाली पक्राउ परनाके तर्कसंगत सूचना"[63] प्रदान करपरना, कानुन व्यवसायीसम पहुँच देना, २४ घण्टाभिट्रे मुद्दा हेरना अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत करपरना, ओ सो अधिकारीके आदेश बेगर थप थुनामे ढरे नैहुइना कहिके व्यवस्था करगइल बा ।[64]

---

[60] प्रमाण ऐन, २०३१, खण्ड ९(२)(क)(२) http://www.lawcommission.gov.np/en/documents/2015/08/evidence-act-2031-1974.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[61] http://www.lawcommission.gov.np/en/documents/2015/08/compensation-relating-to-torture-act-2053-1996.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[62] नेपालके संविधान (२०७२), धारा २०

[63] नागरिक अधिकारसम्बन्धी ऐन, खण्ड १५, http://www.lawcommission.gov.np/en/documents/2015/08/civil-rights-act-2012-1955.pdf मे उपलब्ध (हेरगिल ३ श्रावण २०७३) ।

[64] नागरिक अधिकारसम्बन्धी ऐन, खण्ड १५ ।

८.सुझाव

नेपालके जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारीहुकन देहाय अनुसारके काम आगे बरहाइक लाग एम्नेस्टी इन्टरनेसन आह्वान करट :

गृह मन्त्रालय

- यि प्रतिवेदनमे अभिलेख करगइल जैसिन यातना ओ अन्य दुर्व्यवहार, बलजफ्त "सावितीबयान" ओ स्वेच्छाचारी पक्राउ ओ थुनाके आरोपके सम्बन्धमे तत्काल, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ओ प्रभावकारी अनुसन्धान करइना । अनुसन्धानके निष्कर्ष नैआइटसम यातना ओ अन्य दुर्व्यवहारके लाग जिम्मेवार संदिग्ध अधिकारीहुकन निलम्बनमे ढारजइना चाहि । साथै जिम्मेवारी ठहरल विरुद्ध मुद्दा दायर कइके निष्पक्ष सुनुवाइके अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ओ मापदण्ड अनुरुपके प्रक्रिया अनुसार मुद्दा चलइना चाहि ।
- यातना ओ अन्य दुर्व्यवहारके पीडितहुकनहे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसे व्यवस्था करल अनुसार प्रभावकारी उपचार ओ परिपूरण उपलब्ध करइना । यम्न ओइन उप्पर हुइल क्षतिके स्वीकारोक्ति, पुनर्स्थापना, पर्याप्त क्षतिपूर्ति ओ नैदोहोरइना प्रत्याभूति समावेश बा ।

कानुन कार्यान्वयन करना अधिकारीहुक्र

- सम्भावित फौजदारी अपराधके सामना करुइयन आपन अधिकारके संरक्षण करना ओ प्रतिरक्षामे मद्यत करना कानुन व्यवसायीके सहयोग लेहे पइना अधिकार सुनिश्चित करना । यम्न पुछताछके अवधिसहित थुनामे ढरटीसाथ कानुन व्यवसायीके पहुच ओ ओइनसंग गोप्यरुपमे बाटचिट करना पर्याप्त समय ओ सुविधा उपलब्धता समावेश बा ।
- बन्दीहे थुनामे ढरटीसाथ स्वतन्त्र स्वास्थ्य जांचके सुविधा प्रदान करना चाहि । कौनो फेन समयमे गोप्य चिकित्सा जांच ओ उपचारके माग करना ओ सो प्राप्त करना चाहि । ओइसिन जांचके आग्रहहे अधिकारीहुक्रे छट्ना काम नैकरना चाहि ओ जांचके क्रममे वहां उपस्थित नैहुइना चाहि । कौनो बन्दी यातना या अन्य कौनौ दुर्व्यवहारके आरोप लगाइलमे या ओइनहे यातना डेगइल या अन्य प्रकारसे दुर्व्यवहार करगइल विश्वास करना अन्य कारण हुइलेसे अधिकारीहुकनसे कौनो हस्तक्षेप बिना स्वतन्त्र चिकित्सकसे बन्दीके तत्कालै

जांच करइना चाहि । यदि यातना या अन्य दुर्व्यवहारके आशंका करगइलमे उ बारेमे न्यायाधीशहे गोप्य रुपमे सूचित करना चिकित्सकहे सक्षम बनइना चाहि ।

न्यायपालिका

- यातना या अन्य दुर्व्यवहार या कौनो फेन प्रकारके बलप्रयोगसे हासिल कैगइल बयान, वस्तु या सूचनाहे (यातना ओ अन्य दुर्व्यवहारके आरोपित पीडकके विरुद्ध प्रमाणके रुपमे बाहेक) कौनो फेन प्रक्रियामे प्रयोग नैकइजिना सुनिश्चित करना ।

- बन्दीहे न्यायाधीशसमक्ष प्रस्तुत करेबेर, न्यायपालिकाके सदसय ओ बन्दीहे यातना या अन्य दुर्व्यवहार कैगइल कौनौ फेन संकेतप्रति पदाधिकारीहुक्र सचेत रहना चाही । यदि यातना या दुर्व्यवहारके कौनो संकेत देखगइलमे तत्काल विस्तृत ओ निष्पक्ष अनुसन्धानके आदेश देना काम सुनिश्चित करना ।

संसद

- सन् अगस्ट २०१४ मे यातना या क्रुर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार (अपराध ओ सजाय) सम्बन्धी विधेयकके प्रस्ताव सदनमे दर्ता हुइल बा । ओम्न रहल मुख्य कमीकमजोरी हटाके तत्कालै पारित करना । उजुरी दर्ता करना छोट समयसीमा ओ यातनाके दोषी ठहरुइयनके लाग हुइना दण्डके सम्बोधन सहित यातना ओ दुर्व्यवहारके सामना करुइयनके लाग उल्लङ्घनके गम्भीरता अनुरुपके क्षतिपूति देना, “असल नियत”के साथ काम करल अधिकारीहुकनके लाग रहल संरक्षण हटइना ओ झुठा उजुरी दर्ता करल पागइल मनैनहे हुइना दण्डके सम्बोधन करना आदि विषय प्रस्तावित बुंदामे समावेश बा ।

- यातना ओ अन्य दुर्व्यवहारविरुद्ध नेपाल प्रभावकारी निवारणात्मक उपाय अवलम्बन कर परट । ओम्न यातना विरुद्धके महासन्धि (क्याट) के ऐच्छिक उपलेखके अनुमोदन ओ स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय निकायसे बन्दीगृहके नियमित भ्रमण करना प्रावधानहे सुनिश्चित करना काम समेत रहल बा ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल मानवअधिकारके लाग विश्वव्यापी अभियान हो । एक जने व्यक्ति अन्यायमे परना कलक, उ हम्रे सक्कुजनहनके सरोकारके विषय हो ।

CONTACT US

ष्लाय२कलभकतथायचन

ंद्धद्ध ९ण०द्दण ठद्धज्ञघ छछ्छण्ण

JOIN THE CONVERSATION

धधधाबअभदययपाअफरबलभकतथर्नयदबा

२बलभकतथइलष्लिभ

नेपाल : यातना ओ बलजफ्ती साविती बयान

कैलालीमे २०७२ भदौमे प्रहरी हत्याके घटनापाछे आदिवासी थारुन्के मानवअधिकार हनन्

२०७२ भदौ ७ गते तराईके कैलाली जिल्लामे आदिबासी थारु समुदायसे हजारौंके संख्यामे प्रदर्शनकारीहुक्र टीकापुर सहरके केन्द्रविन्दुओर आगे बहरलै । ओइने नया संविधानके सम्झौता-वार्ताके क्रममे सरकारसे प्रस्ताव कैगइल सङ्घीय सीमाके विरोध करटी एकथो अलग्गे स्वायत्त थरुहट प्रान्तके माग करटहै । भीरमे प्रहरी अश्रुग्यास प्रहार करलपाछे प्रहरी उप्पर कुछ प्रदर्शनकारीन्से आक्रमण हुइल । आठ जने सुरक्षाकर्मी ओ एक जने बालकके हत्या हुइल । प्रहरीके हत्यासे थारुन् विरुद्ध प्रतिशोधात्मक आक्रमणके लहर चलागइल ओ प्रहरीसे थारु समुदायके सदस्यहुकन स्वेच्छाचारी रुपमे पक्राउ करना, यातना ओ अन्य दुर्व्यवहार करना, ओ किहुहे हत्याके सम्बन्धमे “साविती बयान”मे बलजफ्त हस्ताक्षर करक बाध्य बनागइल ।

यी अवस्थासे दण्डहीनताके बृहत वातावरणहे उजागरण करट, जहा यातनाके पीडक विशेष कइके प्रहरीन्हे ओइनके कामके लाग जिम्मेवार नैठहच्याजाइट । । यिहिनसे यातनाके घटनाके सम्बन्धमे आपन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा करनामे नेपालके असफलता उप्पर प्रकाश पारट ।

नेपाल राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत यातनाहे अपराध ठहर करट ओ ओकर गम्भीरता अनुरुप उपयुक्त सजायद्धारा दण्डित करक लाग विधिके निर्माण कर परट । यि काम नेपाल यातना ओ अन्य क्रुर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजायविरुद्धके महासन्धिके पक्ष राष्ट्रके हैसियतसे आपन दायित्व अनुरुप कर परट ।

INDEX: ASA 31/4456/2016
JULY 2016
LANGUAGE: THARU

AMNESTY INTERNATIONAL